कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

माननीय सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर द्वारा अपील संख्या–1403/2017 श्रीमती सुधा सिंघवी बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.11.17 की पालना में श्रीमती सुधा सिंघवी, व्याख्याता राजस्थानी, राजकीय फतह उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर ने दिनांक 16.11.2017 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट), उदयपुर में व्याख्याताओं के रिक्त पदों के विरूद्ध किसी भी विषय के व्याख्याता के रिक्त पद पर पदस्थापन करने हेतु निवेदन किया हैं।

माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 06.11.2017 की पालना में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का नियमों के परिप्रेक्ष्य में गहन अवलोकन किया। अपीलार्थी श्रीमती सुधा सिंघवी, व्याख्याता राजस्थानी विषय की हैं व इनकी शैक्षिक योग्यता एवं प्रशैक्षिक योग्यता निम्नानुसार हैं :–

शैक्षिक योग्यता	शैक्षिक योग्यता (स्नातकोत्तर का प्रतिशत)	प्रशैक्षिक योग्यता	प्रशैक्षिक योग्यता (एम. एड़. का प्रतिशत)
बी.ए. समाजशास्त्र, इतिहास, हिन्दी	49.58 प्रतिशत	डिप्लोमा वोकेशनल व्यवसायिक शिक्षा	प्रेक्टिकल 61.60 प्रतिशत थ्योरि 42.51 प्रतिशत
एम.ए. राजस्थानी	47.50 प्रतिशत		

वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014 के अन्तर्गत किसी भी डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थान में व्याख्याता पद हेतु अपेक्षित योग्यता इस प्रकार हैं :–

5.2 योग्यताएं (बी) शिक्षा में परिप्रेक्ष्य/शिक्षा के आधार, और पाठ्यचर्या तथा शिक्षाशास्त्र

"डी.एल.एड. में अध्यापक शिक्षकों के पास 50 प्रतिशत अंको के साथ समाज विज्ञान/विज्ञानेत्तर विषयों/विज्ञान/भाषा में मास्टर (M.A.) की उपाधि और 50 प्रतिशत अंकों के साथ एम.एड. की डिग्री अथवा 50 प्रतिशत अंकों के साथ एम.ए.(शिक्षा) की उपाधि होनी चाहिए (सिवाय (दो) स्थितियों के, जहां आवश्यकता 50 प्रतिशत अंकों के साथ व दर्शन शास्त्र/समाज विज्ञान/मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि और 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.एल.एड. अथवा बी.एड. अथवा डी.एल.एड. की उपाधि अथवा शिक्षा में एम.फिल/पीएच.डी की उपाधि हैं।)"

श्रीमती सुधा सिंघवी की शैक्षिक व प्रशैक्षिक योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014 के तहत डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थान में व्याख्याता पद हेतु अपेक्षित योग्यता के अनुरूप नहीं होने के कारण श्रीमती सिंघवी का पदस्थापन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) उदयपुर में व्याख्याता पद पर नहीं किया जा सकता हैं, अभ्यावेदन खारिज कर निस्तारण किया जाता हैं। अतः समस्त सूचित हो।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

क्रमांकः शिविरा/प्रारं/संस्था–राप/याचिका संख्या–1403/2017/श्रीमती सुधा सिंघवी/2017/ **दिनांकः** 22-12-2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर, बीकानेर/प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर, चूरू।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, (माशि) उदयपुर, श्रीगंगानगर/(प्राशि) उदयपुर, श्रीगंगानगर।
4. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट), उदयपुर।
5. प्रधानाचार्य, रा. फतह उमावि, उदयपुर/राउमावि जानकीदास वाला, श्रीगंगानगर।
6. श्रीमती सुधा सिंघवी, व्याख्याता राजस्थानी, रा. फतह उमावि, उदयपुर।
7. उप विधि परामर्शी, विधि अनुभाग (कार्यालय हाजा) को अ.टि. क्रमांकः शिविरा/प्रारं/विधि/ए–4/7151/उदयपुर/17/5 दिनांक 24.11.17 के क्रम में।
8. सिस्टम एनॉलिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।